



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

An ISO 9001:2008 Certified Agency



जितेन्द्र श्रीवास्तव, भा0प्र0से0
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक: SHSB/GA/587/2012/.....7330..... पटना, दिनांक : 03/11/15

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन
बिहार

विषय :- प्रखण्ड स्तर पर परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु नोडल पदाधिकारी चिन्हित करने के संबंध में।

महाशय/महाशया,

राज्य के उच्च प्रजनन दर एवं अत्यधिक अपूरित मांग को कम करने के लिए आवश्यक है कि पूरे वर्ष सभी प्रा0स्वा0 केन्द्रों/स्वा0 केन्द्रों पर नियमित रूप से परिवार नियोजन की विभिन्न सुविधाएँ प्रदान की जाय। गत कुछ वर्षों में राज्य में बन्ध्याकरण की वृद्धि परिलक्षित है लेकिन कॉपर-टी/प्रसवोपरान्त कॉपर-टी के संस्थापन हेतु कम बच्चों वाले दम्पतियों को और अधिक प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

परिवार नियोजन का उत्प्रेरण, निबंधन एवं विभिन्न सुविधाओं का संपादन मुख्यतः प्रखंड स्तर पर होता है। अतः उन तथ्यों एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की महत्ता को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि जिला स्तर पर जिस तरह परिवार कल्याण नोडल पदाधिकारी (ACMO/FP Nodal Officer) है, उसी प्रकार सभी प्रखण्डों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी हो, जिससे कार्यक्रम पर बेहतर नियंत्रण स्थापित किया जा सके एवं गुणवत्ता का भी ध्यान सुनिश्चित करते हुए उतरोतर लक्ष्य को ओर बढ़ा जा सके।

अतः अपेक्षित है कि अपने जिलान्तर्गत सभी प्रखण्डों/प्रा0 स्वा0 केन्द्रों से वर्तमान में उपलब्ध चिकित्सा पदाधिकारियों में से एक चिकित्सा पदाधिकारी (Regular या Contractual) को परिवार कल्याण का नोडल पदाधिकारी चिन्हित करते हुए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के परिवार कल्याण कोषांग को संलग्न प्रपत्र में अविलम्ब पत्र निर्गत करते हुए सूचित करेंगे।

विश्वासभाजन

(जितेन्द्र श्रीवास्तव)



परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा,
पटना- 800 014,

दूरभाष: 0612-2290340, 2281545, फैक्स: 2290322,
वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org